


श्रीमान स्वस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कम्प रोवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्र० /2012



1- अब्बास खान उम्र 45 वर्ष तनय गरीबखान

2- कमरुन पिता गरीब खान उम्र 8 वर्ष

3- अब्दुल सेहस उम्र 40 वर्ष पिता गरीबखान

सो निवासी सोहागपुर वार्ड न०1

तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म०प्र० ----- आवेदकगण

कनाम

1- होटेलर पिबानाबकुल केशा सा० चन्दनिया

2- रघुल्ला

3 नूर सा

4 सराय तुल्लासा

तीनों केषीता अलमदारसा सो निवासी चन्दनिया

5- रफोक हां पिता शरोफसा निवासी सोहागपुर, वार्डक्र०1 तहसील

सोहागपुर, जिला शहडोल म०प्र० ----- आवेदकगण

निगरानी विरुत आदेश अमर क्ले० उमरिया

जिला उमरिया दिनांक 23-10-12 बाक्त

प्रकरणक्र० 3/पुनीविलोकन /2012-13जा

अमर क्ले० उमरिया के आदेश दिनांक 25-9-18

प्रकरणक्र०23/ अमील/2010-11 सेउत्पन्न हुआ।

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व

संज्ञास 1959ई०

782
23.11.12

क्र. 13-12-12
जिला उमरिया

13-12-12

अधिवक्ता श्री विद्यासिंह पंडी
बाता उमरिया 23.11.2012

23.11.12

24.12.12

M

[Signature]

संदर्भमेतद्य

मूमि नं० 203 कैजुजरकवा 00 08ए0 स्थित ग्राम चन्दनिया तह०
पालीजिला उमरिया कैबावत वासस्थान वसलकर अधिनियम के अन्त
अनुविभागीय अधिकारी उमरिया के यहाँ आ०क०1 के आवेदन किया
जाँ सारिज करदिया गया जिसकेसिलाफ आ०न०1ने अमर कले०
उमरिया केयहाँ अपील पेशकियाजो दिनांक 25-9-12 का विधि विरुद्ध
रोति से स्वीकार करलो गई जिसकेसिलाफ अ० न्यायालय मे आवेदक
द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पेशकिया गया जाँतारीख 23- 10-12 का
सारिज किया गया जिसकेसिलाफ यह निगरानी श्रीमान के समदा पेश
कीजा रही है।


निगरानीके आधार:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R13-II/13

जिला-उमरिया

अन्वास खान/ छोटैलाल वैगा

(1)	(2)	(3)
5-8-19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सन्तोष मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 03/पुनर्वालोकन/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2012 तथा 23/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="574 1321 654 1456">  </div> <div data-bbox="925 1299 1244 1456"> <p>(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p> </div> </div>	